# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 1237/2025**

रामबाबू महावर **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य अभियंता प्रशासन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपखण्ड बामनवास, बनौर, गंगापुर सिटी।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 21.01.2025
**आदेश की दिनांक** : 18.02.2025

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता

**समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ अभियंता के पद पर उपखण्ड बामनवास, बनौर, गंगापुर सिटी में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से उपखण्ड विजयनगर में दिव्या चौहान के स्थान पर किया गया है। अपीलार्थी के वर्तमान पदस्थापित स्थान पर किसी भी कार्मिक का पदस्थापन भी नहीं किया गया है। वर्तमान में अपीलार्थी का पद रिक्त है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी के बडे भाई की कोरानाकाल में मृत्यु हो गई है। अपीलार्थी के बडे भाई के दो छोटे बच्चे है। अपीलार्थी की माताजी एवं पिताजी वृद्ध है, जिनकी उम्र 71 एवं 73 वर्ष है, जो हृदय रोग से ग्रसित है। अपीलार्थी के माताजी के दो स्टेंट लग चुके है

तथा एक स्टेंट अगले माह लगने वाला है एवं अपीलार्थी के पिताजी भी हृदय रोग से ग्रसित है। अपीलार्थी के पिताजी के भी चार बार स्टेंट डल चुके है। अपीलार्थी के परिवार एवं बडे भाई के परिवार की समस्त जिम्मेदारी अपीलार्थी पर ही निर्भर करती है। उनकी देखभाल करने वाला परिवार में अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। फिर भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण 312 कि.मी. दूर कर दिया गया है (अनुलग्नक–2, 3 एवं 4)। अपीलार्थी स्वयं हृदय रोग एवं उच्च रक्तचाप रोग से पीड़ित है, जिसका निरन्तर ईलाज चल रहा है (अनुलग्नक–5)। अपीलार्थी की पत्नी कनिष्ठ अभियंता के पद पर विद्युत विभाग जिला चित्तौडगढ़ में कार्यरत है। अपीलार्थी का एक छोटा बच्चा है, जिसकी उम्र 9 माह है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को कनिष्ठ अभियंता के पद पर उपखण्ड बामनवास, बनौर, गंगापुरसिटी में ही कार्य करने दिया जावे एवं वेतन भत्ते सहित समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के

दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा )**
**सदस्य**

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**